संख्या- /2021/576/71-2-21-के0जी0एम0यू0-63/2017

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलपति,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 20 अप्रैल, 2021

विषय-कोविड-19 के दृष्टिगत् चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ हेतु उपकरणों उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-वी0सी0/के0जी0एम0यू0/14/2021, दिनांक 19-04-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोविड-19 की आकस्मिकता के दृष्टिगत् उपकरणों क्रय एवं स्थापना हेतु धनराशि रू0 620.49453 लाख की वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 19 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित उपकरणों की सूची अनुमोदित करते हुए उक्त उपकरणों के क्रय हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ हेतु मानक मद '26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र' में प्राविधानित धनराशि रू0 4500.00 लाख के सापेक्ष रू0 620.49453 लाख (रूपया छः करोड़ बीस लाख उन्चास हजार चार सौ तिरपन मात्र) अवमुक्त किए जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-
हैं:-

1) उपकरणों के क्रय किये जाने के संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या-558/71-2-2021-698/2020 टी0सी0, दिनांक 15 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कुलपति/वित्त अधिकारी, के0जीएम0यू0 का होगा।
2) वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के प्रचलित शासनादेशों शासनादेशों के द्वारा जिन उपकरणों के संबंध में मानकीकरण करते हुये दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, उनके सम्बन्ध में उक्तानुसार निर्धारित तकनीकी विशिष्टिताओं एवं दिशा-निर्देशों के आधार पर ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही विश्वविद्यालय स्तर से नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
3) विश्वविद्यालय द्वारा उपकरण/संयंत्र मद में उक्तानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि की सीमा तक ही उपकरणों का क्रय किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में उक्तानुसार अवमुक्त की गयी गयी धनराशि से अधिक का आहरण/व्यय नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा कर ली जाए।
5) स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।
6) वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों/दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
7) प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलपति/वित्त अधिकारी/संबन्धित विभागाध्यक्ष की होगी।
8) दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्तावित उपकरण किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियॉ विशिष्टियॉ न हो तथा बाजार में उपलब्ध उच्च स्तर की कम्पनियों की विशिष्टियों (Technical Specifications) का यथासम्भव समावेश किया जाये।
9) कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी द्वारा क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा नियमानुसार आडिट भी सुनिश्चित कराया जायेगा।
10) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उपकरणों का क्रय न्यूनतम मूल्य पर किया जाय।
11) उक्त उपकरणों का क्रय किए जाने के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण किए जाने के पश्चात, यदि उपकरण क्रय के पश्चात धनराशि की बचत होती है तो इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
12) वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (क्रयादेश/ उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
13) स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
14) सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरणों का क्रय किया जायेगा तथा क्रय की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियों, गुणवत्ता गुणवत्ता व आडिट आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था की होगी।

3- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूँजी लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षाण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06-06- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र " के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/**बी-**1-375/**दस-**2021-231/2021, **दिनांक** 22-03- 2021 **में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- /2021/**576**(1)/71-2-2021 **तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद**
2. **प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।**
3. **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।**
4. **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।**
5. **वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।**
6. **वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-**3/**नियोजन अनुभाग-**4/**वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**2
7. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

Filename:	48
Directory:	C:\Users\me-2\Documents
Template:	C:\Users\me-2\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:	
Subject:	
Author:	ajai
Keywords:	
Comments:	
Creation Date:	4/20/2021 6:01:00 PM
Change Number:	2
Last Saved On:	4/20/2021 6:01:00 PM
Last Saved By:	me-2
Total Editing Time:	1 Minute
Last Printed On:	4/20/2021 6:01:00 PM

As of Last Complete Printing

Number of Pages:	4
Number of Words:	799 (approx.)
Number of Characters:	4,558 (approx.)